नर्बदा देवी बनाम सरकार
मुकदमा संख्या :—03 / 22 / 2025
निर्णय तिथि:—13.10.2025

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 03 / 22 / 2025 ऑन लाईन नम्बर 2025 / 149 प्रवेश तिथि:—13.06.2025

1. नर्बदा देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति मीना आयु करीब 52 साल।
2. रामरूप मीना पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति मीना आयु करीब 30 साल।
3. आशीष मीना पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति मीना आयु करीब 18 साल निवासीयान ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

......प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार राजगढ जिला अलवर ......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. स्वयं प्रार्थी
दिनांक 13 / 10 / 2025

—:निर्णय:—

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 172 / 0.25, 173 / 0.20, 177 / 0.50, 178 / 0.02, 179 / 0.01, 180 / 0.52, 183 / 0.50, 98 / 0.24, 99 / 0.22, 174 / 0.01, 181 / 0.07, 182 / 0.05 है0 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में **प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम पप्पू** दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ जिला अवलर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1212 दिनांक 14.07.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में **प्रार्थी के पति व पिता का नाम लक्ष्मीनारायण की जगह सहवन से पप्पू** दर्ज कर रखा है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार **लक्ष्मीनारायण व पप्पू दोनो एक ही व्यक्ति है**। गलत नाम के स्थान पर प्रार्थीगण के पति व पिता नाम लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान—ए—बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 172 / 0.25, 173 / 0.20, 177 / 0.50, 178 / 0.02, 179 / 0.01, 180 / 0.52, 183 / 0.50, 98 / 0.24, 99 / 0.22, 174 / 0.01, 181 / 0.07, 182 / 0.05 है0 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की

नर्बदा देवी बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:—03/22/2025
निर्णय तिथि:—13.10.2025

कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम लक्ष्मीनारायण की जगह सहवन से पप्पू दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। मुताबिक तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 के अनुसार प्रार्थीगण के पति व पिता लक्ष्मीनारायण व पप्पू दोनो एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ़ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है. प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 172/0.25, 173/0.20, 177/0.50, 178/0.02, 179/0.01, 180/0.52, 183/0.50, 98/0.24, 99/0.22, 174/0.01, 181/0.07, 182/0.05 है0 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर कोस्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम क्रमशः नर्बदा पति पप्पू रामरूप पुत्र पप्पू, आशीष पुत्र पप्पू दर्ज है। उसके स्थान पर क्रमश नर्बदा पत्नी लक्ष्मीनारायण, रामरूप पुत्र लक्ष्मीनारायण, आशीष पुत्र लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर